भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र संख्या 07 / 2025

विषय :- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) के अनुपालन पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक करना।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग (दिव्यांगजन) से प्राप्त दिनांक 13.01.2025 के डीओ पत्र संख्या CC-12016/1/2023-CCPD के अनुपालन में , SEEPZ-SEZ, मुंबई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD अधिनियम, 2016) के तहत उनकी जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाया जाता है। RPwD अधिनियम, 2016, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और जीवन के अन्य सभी पहलुओं में समान अवसर, पहुंच और गैर-भेदभावपूर्ण उपचार प्रदान किया जाए। इस अधिनियम का अनुपालन एक कानूनी दायित्व है।

अधिनियम के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (CCPD) इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए जिम्मेदार नामित प्राधिकारी है। धारा 76 के तहत, सभी सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए तीन महीने के भीतर CCPD द्वारा की गई किसी भी सिफारिश पर आवश्यक कार्रवाई करना और तदनुसार मुख्य आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य है, यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है, तो ऐसी अस्वीकृति के कारणों को CCPD और पीड़ित व्यक्ति को लिखित रूप में बताना होगा। CCPD द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने में कोई भी विफलता अधिनियम की धारा 93 के तहत उल्लंघन का गठन करती है, जो एक दंडनीय अपराध है।

इसके अतिरिक्त, धारा 75 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए, तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव या बहिष्कार को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

सीप्ज़-सेज़, मुंबई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। यह ज़रूरी है कि सीसीपीडी, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त किसी भी संचार का तुरंत जवाब दिया जाए। अधिकारियों को सीप्ज़-सेज़ परिसर के भीतर आवश्यक पहुँच उपायों की समीक्षा और कार्यान्वयन करना चाहिए। धारा 76 के तहत सिफारिशों के लिए तीन महीने की प्रतिक्रिया समयसीमा का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन का आकलन करने के लिए अनुपालन समीक्षा की जाएगी। दिव्यांगता से संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ता/-
(जय शाह)
उप विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

एफ. नं. SEEPZM-ADMN0HRD1/4/2024-ADMN/02472 दिनांक: 19.02.2025

में कॉपी:-

1. विआका/संविआका/उविआका/विअ
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल / रजिस्टर
3. सीप्ज़ वेबसाइट
4. सूचना पट्ट
5. सभी अधिकारी/कर्मचारी

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

Circular No. 07 / 2025

Sub:- Sensitization of Officers and officials on Compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016)

In compliance with D.O. Letter No. CC-12016/1/2023-CCPD dated 13.01.2025, received from the Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), all officers and officials of SEEPZ-SEZ, Mumbai are hereby sensitized regarding their responsibilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016). The RPwD Act, 2016, enacted to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which ensures that persons with disabilities are provided equal opportunities, accessibility, and non-discriminatory treatment in education, employment, public services, and all other aspects of life. Compliance with this Act is a legal obligation, and all government establishments must adhere to its provisions.

As per the Act, the Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) is the designated authority responsible for monitoring the implementation of its provisions and handling complaints related to violations of the rights of persons with disabilities. Under Section 76, it is mandatory for all government establishments to take necessary action on any recommendations made by the CCPD within three months and inform the Chief Commissioner accordingly, If any recommendation is not accepted, the reasons for such non-acceptance must be conveyed in writing to the CCPD and the aggrieved person. Any failure to furnish information sought by the CCPD constitutes a violation under Section 93 of the Act, which is a punishable offence.

Additionally, under Section 75, all concerns raised by persons with disabilities must be addressed promptly, and necessary measures must be taken to prevent any form of discrimination or exclusion.

All officers and officials of SEEPZ-SEZ, Mumbai are directed to ensure compliance with all provisions of the RPwD Act, 2016. It is imperative that any communications received from the CCPD, State Commissioners for Persons with Disabilities, or any other statutory authority are responded to promptly. Officers must review and implement necessary accessibility measures within SEEPZ-SEZ premises. Strict adherence to the three-month response timeline for recommendations under Section 76 is required.

A compliance review will be conducted to assess adherence to the RPwD Act, 2016. Officers responsible for handling disability-related matter must submit compliance reports periodically to ensure transparency and accountability.

19/2/25

(Jay Shah)
Deputy Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

F. No. SEEPZM-ADMN0HRD1/4/2024-ADMN/02472 Date: 19.02.2025

Copy to:-

1. DCO/JDCO/DDCO/SO
2. Office Order File / Registered
3. SEEPZ Website
4. Notice Board
5. All Officers / Officials